

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./ 1548
प्रति,

/2024/रायगढ़, दिनांक :- 24/03/24

अधीक्षण अभियंता,

अ.उ.दा. (नि एवं सं.) वृत्त,

छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. बिलासपुर

संशोधित

विषय :-

Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply form 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC Ltd. area- 9.589 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/IROCH-07/2021/1223 दिनांक 30.01.2023
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/विद्युत/479-176/1842 रायपुर दिनांक 03.08.2023 एवं 98 दिनांक 10.01.2024
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./5114 रायगढ़ दिनांक 21.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-2/आई.आर.ओ.सी.एच.-07/2021/406 दिनांक 07.12.2021 (प्रथम चरण) एवं पत्र क्रमांक/FC-II/IROCH-07/2021/1223 दिनांक 30.01.2023 (अंतिम चरण) द्वारा CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply form 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC Ltd हेतु प्रभावित कुल 9.589 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक- 02 के माध्यम से निम्नांकित राशि जमा करने हेतु लेख किया गया है:-

1. अंतिम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्त क्रमांक III के पालन में आपके द्वारा पूर्व में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्ष 2022-23 की नवीन निर्धारित दर राशि रु. 8,78,787.00 अनुसार राशि रु. 1,68,53,378.00 जमा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की नवीन निर्धारित दर राशि रु. 9,66,666.00 अनुसार रकबा 19.178 हे. के लिए राशि रुपये 1,85,38,721.00 होता है आपके द्वारा पूर्व में राशि रु. 1,68,53,378.00 जमा किया जा चुका है। अतः जमा योग्य अंतर की राशि रु. 16,85,343.00 (रुपये सोलह लाख पचासी हजार तीन सौ तिरालीस मात्र) कैम्पा कॉर्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।
2. अंतिम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक XIX(d) के पालन में औषधी वृक्षारोपण हेतु चयनित रकबा 3.551 हे. लिए वर्ष 2022-23 की निर्धारित दर राशि रु. 8,78,787.00 अनुसार राशि रु. 31,20,573.00 जमा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की नवीन निर्धारित दर राशि रु. 9,66,666.00 अनुसार रकबा 3.551 हे. के लिए राशि रुपये 34,32,631.00 होता है। आपके द्वारा पूर्व में राशि रु. 31,20,573.00 जमा

किया जा चुका है। अतः जमा योग्य अंतर की राशि रु. 3,12,058.00 (रुपये तीन लाख बारह हजार अन्ठावन मात्र) कैम्पा कॉर्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।

बिन्दु क्रमांक 1 से 2 में उल्लेखित समस्त राशि कैम्पा खाते में जमा करने के उपरांत रसीद की छायाप्रति के अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक-पृथक वचनपत्र के साथ इस कार्यालय में जमा करें।


वनमण्डलाधिकारी

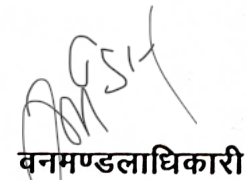
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1544

2024/रायगढ़, दिनांक :- 22/03/24

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़